

15/6/18

पञ्जाबी राजपूत लोक आदालत कोलकाता के
 मामल में पेश दुमी वकील वादी उप. | वकील
 पुलिसवादी उप. नहीं है वकील पुलिसवादी को पचास
 पेश गले हलु अनेक अगल दिले जाने के
 कापूड पचास पेश नहीं किया गया वकील वादी
 के एक प्र. पत्र धारा 151 पेश कर निवेदन किया
 कि उपरोक्त उपासी यकलन द्वारा वादी के अपने
 अधिकारी की सुझाव पेश किया था जिसमें
 रात में सम्बन्धित वाड पेश किया था जिसमें
 प्र. पत्र 212 प्र. पत्र पूर्व में सम्बन्धित हो चुका
 है लेकिन एक वाड अन्य मामल में रिपकार्ड
 था जिसके डिमी के वाड के 341/1, 340 दिमा
 में रजिस्ट्र हो गया इस प्रकार रजं. नं. 341/1
 नकल 19 रिपकार्ड व रजं. नं. 340 नकल 1 रिपकार्ड
 किना 2 कुल 2597 | बीधा वादी के दिमा में
 व रजं. नं. 341 नकल 1 बीधा दिमा 5 रजं
 दिमा है। पुलिसवादी सं. 1 को 4195 किया जावे
 कि वादी के रजं. नं. 341/1 व 340 में नकल रातना
 सम्बन्ध नहीं करे, नही वादी की आदालती में

रोड की नए गेट काउन्सिल रोड नो. 11 को बंद करने का
 प्रस्ताव है। 9000 वाडी की वसूली कर
 सुन गयी परामर्श का अवलोकन किया गया
 वाडी द्वारा यमुना प्रा. प्र. 151 सीमा किता
 जात है ~~जिस~~ पर को पाठ किता जात
 है कि वाडी के बंद करने का प्रस्ताव प्रस्ताव
 नहीं है। वाडी की आरजी से रोड साइड
 में लगी गेट काउन्सिल को न रोड वि
 नया रास्ता कायम नहीं है। निरक्षर-आयाम
 को लोअर क्लेस में मुनाफा गयी परामर्श
 प्रस्ताव सुना किता जात नए से कद
 सिरीयन को लकी जाती है।

HAD/18 / Follow up 11/12